ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट नं0 1, सैक्टर– नालेज पार्क–4

ग्रेटर नौएडा सिटी गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)

सार्वजनिक सूचना

आवासीय भूखण्ड योजना RPS-01 सेक्टर – 2, एव XT-01 सैक्टर– 3 के आवंटियों हेतु सूचना

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आर.पी.एस.01 (आवासीय भूखण्ड योजना) के अन्तर्गत सैक्टर–2 में 162 वर्ग मी0 व 220 वर्ग मी0 एवं सैक्टर–3 में एक्स.टी.01(आवासीय भूखण्ड योजना) के अन्तर्गत 120 वर्ग मी0 व 200 वर्ग मी0 भूखण्डों की योजना की भूमि मुख्यतः ग्राम पतवाडी एवं बिसरख की भूमि पर नियोजित हैं। ग्राम पतवारी एवं बिसरख के कृषकों द्वारा विभिन्न कारणों से मा0 उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर किए गए तथा सेक्टरों का विकास कार्य पूर्णतः बन्द रहा। इसके अतिरिक्त कृषको द्वारा 64.70% अतिरिक्त प्रतिकर एवं 10% आवादी भूखण्डों की मॉगों व कुछ खसरों पर स्थगनादेश के कारण भी विकास कार्य वाधित रहे।

अतः उक्त दोनों आवासीय योजनों XT-001 व RPS-01 के बाधित भूखण्डों के आंवटियों को उक्त वर्णित परिस्थितियों के कारण भूखण्डों का कब्जा न दिये जा पाने के कारण वैकल्पिक भूखण्ड सैक्टर–2 व 3 में ही लॉटरी के माध्यम से आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार बाधित भूखण्डों को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु दिनॉक 04.09.2017 को प्रातः 11.00 बजे प्राधिकरण के नवीन कार्यालय सैक्टर के0पी0–4 में ड्रा का आयोजन किया जायेगा। सम्बन्धित आवंटी उक्त तिथि एवं समय पर ड्रा में सम्मलित होने का कष्ट करें।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण